महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :- रू0वि0/सम्ब.(अना)/2015/ 1931-33 दिनांकः- जनवरी, 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
ओशो ध्यान विज्ञान शिक्षा समिति,
शाहजहाँपुर।

विषयः नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक शून्य के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 में प्रतिनिधायित शक्तियों के फलस्वरूप गठित समिति ने सम्यक विचारोपरान्त संस्था ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय, म्युना, खुदागंज, तह0 तिलहर, शाहजहाँपुर को स्नातक स्तर स्तर पर कला संकायन्तर्गत बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र व गृह विज्ञान), विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम/विषयों में अनापत्ति स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है-

1. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
2. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27.09.2002, शासनादेश संख्या 3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11.10.2002, शासनादेश संख्या 193/सत्तर-2-2003-2(166)/2002, दिनांक 13.01.2003, शासनादेश संख्या 585/ मु.मं./सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21.10.2005, शासनादेश संख्या 743 मु.मं./सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07.11.2006, शासनादेश संख्या 1140/सत्तर-3-2009, दिनांक 10.07.2009, शासनादेश संख्या 1528/79-6-2008, दिनांक 20.07.2009, शासनादेश संख्या-4070/सत्तर-2-2011-16(686)/2011, दिनांक 20.04.2012 शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आदश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर लेगी।
3. उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगी और न ही उनके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुयी वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।
4. संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं होगा।
5. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
7. उक्त पाठयक्रम का संचालन, अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम म्युना बाँगर, परगना जलालपुर तह0 तिलहर जिला शाहजहाँपुर में गाटा संख्या 322/2 रकबा 0.668 हैक्ट0 व गाटा संख्या 323/1 रकबा 0.433 हैक्ट0 के कुल क्षे0 1.101 हैक्ट0 भूमि पर मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा।
8. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगी और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रो0(मुशाहिद हुसैन)
कुलपति

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
2. जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।

(ए.के. सिंह)
पी.सी.एस.
कुलसचिव